(10)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक 7035-I/2015

निगरानीकर्ता : विवेक अग्रवाल पिता श्री विष्णुअग्रवाल
निवासी– मकान नं0 999, आमनपुर, मदनमहल, जबलपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी :
1. म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक जबलपुर
2. उप संचालक, खनिज प्रशासन, जबलपुर

निगरानी याचिकाअंतर्गत धारा 56(4) स्टाम्प अधिनियम 1899

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर (म0प्र0) के द्वारा प्रकरण कंमाक 878/बी–103/धारा 33/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2015 से परिवोदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों का निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 7035–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–5–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 878/बी–103/धारा–33/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10–7–15 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 56(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक जबलपुर द्वारा प्रश्नाधीन पट्टा विलेख असम्यक रूप से स्टाम्पित मानते हुए स्टाम्प एक्ट की धारा 33 में अवरूद्ध कर धारा 38(2) की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को सुनने के उपरांत प्रश्नाधीन खनिज पट्टे पर एक लाख मुद्रांक शुल्क प्रभार्य माना जिसमें से आवेदक द्वारा 65000/– रूपये निष्पादन के समय चुकाये जाने के कारण शेष कमी स्टाम्प 35000/– तथा शास्ति रूपये एक हजार कुल 36000/– रूपये एक माह में जमा करने के आदेश आवेदक को दिये । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी आवेदन में उल्लिखित किये गये हैं । 4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष है और अधीनस्थ न्यायालय ने 16–9–2014 से लागू संशोधित नवीन मुद्रांक शुल्क सारणी की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 38(4) के अनुसार मुद्रांक शुल्क प्रभार्य माना है । इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि औसत वार्षिक भाटक एवं प्रीमियम अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो अधिक हो, का 2 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा । औसत वार्षिक भाटक एवं	

प्र0 क्र0 निगरानी 7035-एक/15 (विवेक अग्रवाल विरूद्ध शासन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रीमियम अथवा बाजार मूल्य दोनों में उन्होंने पूरे पट्टे अवधि 10 वर्ष की कुल रायल्टी 50,00,000/- को माननीय उच्च न्यायालय केरल एवं कर्नाटक के न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुए, बाजार मूल्य मानकर मुद्राक शुल्क की गणना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लिखित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उनका आदेश उचित एवं औचितयपूर्ण प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य